

विचार बिन्दु

धीरज सारे आनंदों और शक्तियों का मूल हैं। -फ्रैंकलिन

समकालीन भारत में संस्कृति बनाम पहचान की राजनीति

मेरी पीढ़ी के लोगों के लिए विविधता भारत का पर्याय रही है। हमने भारत को जाना-समझा ही विविधता के माध्यम से है। लेकिन आज यह शब्द दुबोष होता जा रहा है। आज इसके माध्यम से भारत को समझना उतना सहज नहीं रह गया है। मेरे भारत में विविधता केवल सह अस्तित्व की ही नहीं, सह निर्माण की भी सतत प्रक्रिया रही है। यहां विविध संस्कृतियों टकराईं भी, घुलीं-मिलीं भी और फिर एक दूसरे में समाविष्ट होकर एक बहुरंगी संरचना बन गई। उसी को तो हम भारतीय संस्कृति कहते रहे हैं। लेकिन आज का भारत एक अजीब-सी विडंबना के दौर से गुजर रहा है। आज विविधता को कई तरह से नकारा जा रहा है। संस्कृति बचाने के नाम पर उसे संकीर्ण किया जा रहा है और पहचान की राजनीति को उस पर कुछ ऐसे थोपा जा रहा है कि वह अपने मूल स्वभाव -संवाद, समावेश और प्रवाह- से दूर होती जा रही है।

यह बात सर्वमान्य है कि संस्कृति चलायमान होती है। उसका स्वभाव स्थिरता है ही नहीं। वह समय और स्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। वह नए प्रभावों को आत्मसात करती है और इस प्रक्रिया में पुराने को नए संदर्भ में पुनर्परिभाषित करती है। भारतीय संस्कृति इसी तरह बनी है। भाषाओं, परंपराओं, खान-पान, विश्वासों और रीति-रिवाजों के अनगिनत स्रोतों ने उसे गढ़ा है। लेकिन आज पहचान की जो राजनीति अत्यधिक मुखर है वह इस वैविध्य को नकार कर स्पष्ट सीमा रेखाएं खींच देने को व्याकुल है। आज हम 'और' के बीच के अंतर को धार दी जा रही है और इस करने के क्रम में संस्कृति की उस नमनीयता को ही गूँथ किया जा रहा है जो उसे जीवंत बनाती है। ऐसा बात को समझा जाना बहुत जरूरी है कि जब संस्कृति को किसी एक पहचान के सांचे में ढालने की कोशिश होती है तो वह अपनी सजीवता खोने लगती है।

आज के भारत में यह दंड किसी सैद्धांतिक विमर्श का विषय न रहकर रोजमर्रा का यथार्थ बन चुका है। इतिहास के पुनर्पाठ की प्रवृत्ति बहुत तेज हुई है। शहरों, संस्थानों और सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। ऐसा केवल प्रशासनिक और सांस्कृतिक कारणों से नहीं किया जा रहा है। बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि यह सब स्मृति और इतिहास को एक खास दिशा देने के निमित्त किया जा रहा है। इतिहास की समीक्षा एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया होती है। हर जीवित समाज ऐसा करता है। उसे करना भी चाहिए। उससे भला किसी को भी आपत्त क्यों होगी? लेकिन जब इतिहास की समीक्षा एक खास मकसद को सामने रखकर की जाए, एक खास पहचान को प्रमुखता देने के लिए की जाए, और एक खास पहचान को धूमिल करने के लिए की जाए, तो चिंता होना स्वाभाविक है। जब अतीत को वर्तमान को राजनीति के अनुरूप ढालने के प्रयास होते हैं तो फिर वह इतिहास इतिहास न रहकर नैरेटिव बन जाता है। दुर्भाग्य से आज हमारे सामने यही हो रहा है।

हम देख रहे हैं कि हमारे ल्योहारों और सांस्कृतिक प्रतीकों के ईर्द-गिर्द भी एक नई तरह की आक्रामक प्रतिस्पर्धा निर्मित की जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर भी कौन-सा उत्सव कैसे मनाया जाएगा, और किस धार्मिक कृत्य की अभिव्यक्ति तो 'संस्कृति' है और किसकी अभिव्यक्ति 'अतिक्रमण' है - ये बातें अब ज्यादा उछाली जाने लगी हैं। अनेक जगहों पर धार्मिक जुलूसों और आयोजनों को लेकर तनाव होने लगे हैं और अब ये सब बहर्भागिता और आनंद के माध्यम न रहकर शक्ति प्रदर्शन और सीमा निर्धारण के उपकरण बनते जा बने जा रहे हैं। संस्कृति मूलतः तो उत्सवधर्मी और समावेशी ही होती है लेकिन उसे प्रतिस्पर्धा के मंच में तब्दील करके उसकी मूल प्रकृति को ही बदला जा रहा है।

और ऐसा ही खान-पान के मामले में भी हो रहा है। खान-पान किसी भी संस्कृति का सर्वाधिक सहज और निजी पक्ष होता है, लेकिन अब इसे राजनीतिक आग्रह और सार्वजनिक बहस का विषय बना दिया गया है। कौन क्या खा-पी रहा है, अब यह उसके व्यक्तिगत चयन कामामला नहीं रह गया है। इससे उसकी पहचान तो बर्बाद हो रही है।

इस समूचे दृढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हो रही है भारत की युवा पीढ़ी। भारत की करीब पैसठ प्रतिशत आबादी पैंतीस वर्ष से कम आयु वाली है और यही समूह सोशल मीडिया और समकालीन विमर्श से सबसे अधिक प्रभावित है। जो युवा परिवर्तन और नवाचार का वाहक हो सकता था, उसी को पहचान के सबसे तीखे संघर्षों का वाहक बना दिया गया है। उसकी जो ऊर्जा रचनात्मक दिशा में जा सकती थी, उसे ध्रुवीकरण के निमित्त नियोजित कर दिया गया है।

संस्कृति ही हो, उसमें उर्दू का तो एक भी शब्द न आए - यह प्रवृत्ति बहुत मुखर है। खाली वह है कि भाषा को उसके स्वाभाविक रूप में परिवर्तित और विकसित होने दिया जाए या उसे एक कठोर सांचे में ढाल कर जड़ बना दिया जाए! अगर संस्कृति के संरक्षण का अर्थ इस तरह उसके उत्पादनों को जड़ बना देना मान लेंगे तो इससे संस्कृति विकसित न होकर संकुचित हो होगी।

आज के भारत में मीडिया और खास तौर पर सोशल मीडिया की भूमिका भी बहुत विचारणीय है। भारत में 80 करोड़ से ज्यादा इण्टरनेट उपयोगकर्ता हैं, और इस तरह भारतीय समाज दुनिया के सबसे विशाल डिजिटल समाजों में शामिल है। जब इतनी बड़ी जन संख्या अपनी-अपनी पहचानों के साथ एक ही मंच पर उपस्थित होती है जिनमें सम्भावना उनमें पारस्परिक संवाद की होती है उतनी ही, या उससे कुछ ज्यादा आंशिक टकराव की भी उत्पन्न होती है। तकनीक के जानकार बताते हैं कि एल्गोरिथम आधारित प्लेटफॉर्म पर बड़ी सामग्री ज्यादा फेलती है जो भावनात्मक और विवादास्पद होती है। इसकी परिणति पहचान आधारित ध्रुवीकरण के तज होने में होती है। चर्चा का हर मुद्दा पक्ष और विपक्ष के दायरों में सिमट जाता है और वह साझी ज़मीन जिस पर दोनों टिक सकते हैं संकुचित होते-होते अदृश्य ही हो जाती है।

राजनीति के इलाके में तो इस पहचान की तीव्रता और अधिक स्पष्ट है। चुनावी राजनीति में जाति, धर्म और क्षेत्रीय अस्मिताएं अधिक प्रभावी हुई हैं। संस्कृति तो यहां प्रायः एक प्रतीकात्मक आवरण के रूप में नजर आती है। आज की राजनीति में संस्कृति का इस्तेमाल ही होता है; उसका संरक्षण करने को कोई तत्पर नजर नहीं आता है। और यही वह बिन्दु है जहां से संस्कृति का असल पतन शुरू होता है। फिर भी, मैं यह कहने में संकोच करूंगा कि हमारे यहां पहचान की राजनीति पूरी तरह नकारात्मक है। इतिहास में अनेक ऐसे क्षण आए हैं जब हाशिये पर अवस्थित समूहों ने अपनी पहचान के आधार पर ही स्थान और सम्मान प्राप्त किया है। दलित आंदोलन, स्त्री आंदोलन और विविध क्षेत्रीय अस्मिताओं के संघर्षों ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया है। समस्या तो तब उत्पन्न होती है जब राजनीति समावेश की बजाय बहिष्कार के मार्ग पर चलने लगती है, जब अपनी पहचान को थिथक करने के लिए दूसरों के अस्तित्व को नकारा जाने लगता है। ऐसे में पहचान अधिकार का साधन न रहकर वर्चस्व स्थापन का औजार बन जाती है।

इस समूचे दृढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हो रही है भारत की युवा पीढ़ी। भारत की करीब पैसठ प्रतिशत आबादी पैंतीस वर्ष से कम आयु वाली है और यही समूह सोशल मीडिया और समकालीन विमर्श से सबसे अधिक प्रभावित है। जो युवा परिवर्तन और नवाचार का वाहक हो सकता था, उसी को पहचान के सबसे तीखे संघर्षों का वाहक बना दिया गया है। उसकी जो ऊर्जा रचनात्मक दिशा में जा सकती थी, उसे ध्रुवीकरण के निमित्त नियोजित कर दिया गया है।

ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि संस्कृति को उसके वास्तविक रूप में समझा और अंगीकार किया जाए। संस्कृति किसी एक पहचान, एक भाषा या एक परंपरा का नाम है ही नहीं। वह तो इन सबके बीच निरंतर चलते रहने वाले संवाद की परिणति है। उसे स्थिर करने का प्रयास उसे सीमित कर देता है। हमारी यह चिन्ता केवल संस्कृति और पहचान की नहीं, भारत के भविष्य की भी है। अगर संस्कृति की पहचान को संकीर्ण चौखटों में कैद कर दिया गया तो हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ेंगे जहां विविधता समस्या बन जाएगी। यह वह भारत नहीं होगा जिसकी कल्पना हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने की थी और न यह वह भारत होगा जिसे हमारा संविधान संविकृत करता है। अगर संस्कृति को बचाने के नाम पर हम उसे भय, संदेह और बहिष्कार का औजार बना देंगे तो इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा।

-अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल,
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

मैंने अपनी आँखों से घर टूटते देखे हैं - कानून, अदालत और चुपचाप मरते पुरुषों की कहानी



सुनील दत्त गोयल

मैं पिछले कुछ वर्षों से एक दर्दनाक सच्चाई को करीब से देख रहा हूँ। अखबारों में खबरें आती हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो चलते हैं, लेकिन असली कहानी उन घरों के भीतर लिखी जाती है जहाँ एक पति, उसका बूढ़ा पिता, उसकी माँ, उसकी बहन - सब एक साथ अदालत के कटघरे में खड़े कर दिए जाते हैं।

मैं यह नहीं कह रहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं होता है, और बहुत गंभीर होते हैं। दहेज, घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न - ये सब हमारे समाज की कड़वी सच्चाई हैं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ - क्या हर मामला वैसा ही होता है? क्या हर 498ए का केस सच में क्रूरता का मामला होता है? और यदि नहीं, तो उन निर्दोष लोगों का क्या, जिनका जीवन सिर्फ एक शिकायत से बर्बाद हो जाता है?

एक एफआइआर... और पूरा परिवार अपराधी

भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 1983 में जोड़ी गई थी। उद्देश्य था - दहेज और क्रूरता से महिलाओं की रक्षा। लेकिन व्यवहार में मैंने ऐसे अनेक मामले देखे हैं जहाँ - पति के साथ-साथ 70 साल की माँ भी आरोपी, शहर से बाहर रहने वाली विवाहित बहन भी आरोपी, यहां तक कि दूर के रिश्तेदार भी नामजद।

एक एफआइआर दर्ज होते ही पूरा परिवार अपराधी की तरह देखा जाता है। पुलिस की पूछताछ, गिरफ्तारी का भय, पासपोर्ट जल, नौकरी पर असर - ये सब शुरू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कई फैसलों में कहा है कि 498ए का अटीन गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अदालत ने उसेलेट पर चिंता जताई है और कहा कि बड़ा-चढ़ाकर शिकायतें दर्ज की जाती हैं। अभियोजन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों में सजा का प्रतिशत लगातार गिरता हुआ दिखाई देता है, जो कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वर्ष दर वर्ष आँकड़ों पर नजर डालें तो नवंबर 2021 तक सजा दर 22.21%, अक्टूबर 2022 तक 22.33%, इसके बाद गिरफ्तार अक्टूबर 2023 में 19.52%, दिसंबर 2024 में 19.21% और अंततः अक्टूबर 2025 तक मात्र 16.44% रह गई। यानी समय के साथ दोषसिद्धि दर घटती जा रही है, जबकि बड़ी संख्या में आरोपी अदालतों से बरी हो रहे हैं। यह प्रवृत्ति संकेत देती है कि या तो जांच और साक्ष्य संठाहण में गंभीर खामियाँ हैं, या फिर कुछ मामलों में कानूनों के दुरुपयोग की आशंका भी मौजूद है।

एनसीआरबी के आँकड़ों के अनुसार 498ए में चांशैटिद दाखिल दंड बहुत अधिक है, लेकिन दोषसिद्धि दर लगभग 14-16% के बीच रहती है। इसका मतलब यह नहीं कि 84% मामले झूठे हैं, तो यह जरूर दर्शाता है कि बड़ी संख्या में मामलों में आरोप अंततः साबित नहीं हो पाते। लेकिन तब तक आरोपी परिवार 5-10 साल अदालतों

में लगे रहते हैं। पति के अत्याचारों के विवाहित पुरुषों की आत्महत्या संख्या विवाहित महिलाओं से काफी अधिक पाई गई है। पारिवारिक समस्याएँ और वैवाहिक विवाद प्रमुख कारणों में दर्ज हैं। 2022 और 2023 के आँकड़े दिखाते हैं कि 1.6 लाख से अधिक आत्महत्याओं में से लगभग 1 लाख से अधिक पुरुष थे। इनमें बड़ी संख्या विवाहित पुरुषों की थी। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ पति ने सुसाइड नोट लिखा - मैं निर्दोष हूँ, लेकिन केस और बदनामी सह नहीं पा रहा। मैंने हमें बुजुर्ग पिता देखे हैं जो कहते हैं - हम अदालत में साबित हो गए कि बेटा निर्दोष था, पर वह फैसला सुनने के लिए जीवित नहीं रहा। हर आत्महत्या सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं होती। वह एक परिवार की सामाजिक मृत्यु होती है। घरेलू हिंसा अधिनियम - लेकिन पुरुष कहाँ जाते? "The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005" ने महिलाओं को सुरक्षा, निवास अधिकार, भरण-पोषण जैसे कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए। लेकिन यदि कोई पुरुष मानसिक या शारीरिक हिंसा का शिकार होता है, उसके लिए कोई समानांतर ढांचा नहीं है।

भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग है। राज्य महिला आयोग हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष आयोग नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि महिला आयोग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या न्याय व्यवस्था में संतुलन नहीं होना चाहिए? क्या पुरुषों की शिकायतों के लिए संस्थागत मंच नहीं होना चाहिए?

पहचान की असमानता - सामाजिक सजा पहले, अदालत बाद में कानून के तहत महिला पीड़िता की पहचान छिपाई जाती है - यह सही है और होना भी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि पुरुष आरोपी का नाम, फोटो, पेशा, पूरा विवरण मीडिया में छप जाता है। बाद में यदि वह बरी हो जाए, तो क्या मीडिया उसी प्रमुखता से उसकी बेगुनाही प्रकाशित करती है? प्रतिष्ठा एक बार धूमिल हो जाए, तो जीवन भर दगा रहता है। एक और बड़ी अजीब सी दुर्गति मुझे कानून की नजर आती है कि जब भी महिला उत्पीड़न का कोई केस होता है, तो अपने मुद्दाओं के लिए केवल महिला न्यायिक अधिकारी को ही लगाया जाता है - चाहे वह लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट। तो क्या उच्च

न्यायालय के अधिकारी यह समझते हैं कि महिला को न्याय सिर्फ महिला ही दे सकती है? क्या यह एक तरफ़ा और एक तरीके से लैंगिक असमानता नहीं है? क्या उन्हें अपने पुरुष जजों या पुरुष न्यायिक अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, जो ऐसा मानते हैं कि पुरुषों को शुरू से ही निष्कर्ष है और उसी की गलती है? इसलिए महिला जज ही लगाई जाएं और वह कड़ी सजा करेगी। यह दोगलापन है, यह लैंगिक असमानता है, और जब तक यह समाप्त नहीं होगी, आने वाले समय में ऐसा न होकर रिश्तों में खटास पैदा हो जाएगी।

मैरिटल रेप और वैवाहिक निजता : मैरिटल रेप पर चल रही बहस अत्यंत संवेदनशील है। एक ओर महिला की गरिमा और सहमति का प्रश्न है, दूसरी ओर वैवाहिक संबंधों का निजी क्षेत्र। मैंने मैरिटल रेप के बारे में आजकल बड़े-बड़े जजमेंट पढ़े हैं। कोर्ट या अदालत यह तय करेगी कि कल रात पति-पत्नी के बीच संबंध बने थे या नहीं? यदि पत्नी की इच्छा नहीं थी और पति ने उसे संभोग के लिए मजबूर किया, तो उसने कौन-सा गुनाह कर दिया? शादी के समय भी वह साथ रहने के वादे करके आई थी। और मान लीजिए कभी पति को इच्छा न हो और पत्नी जबरदस्ती करे, तब की स्थिति में पत्नी कहाँ जाएगी? और उस वक्त कोन से कानून की धाराएँ किसके खिलाफ लगाई जाएँगी। इन कानूनों में एकतरफ़ा व्यवस्था है। कानून के इस स्वरूप से डर लगने लगा है। आजकल शादियाँ बहुत जल्दी टूट रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इन एकरफ़ा कानूनों का भी कहीं न कहीं बड़ा योगदान साबित होता जा रहा है। यदि भविष्य में इसे अपराध घोषित किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि स्पष्ट परिभाषा, प्रमाण मानक और दुरुपयोग रोके की टोस प्रक्रिया हो। अन्यथा हर वैवाहिक विवाद संभावित आपराधिक मुकदमे में बदल सकता है।

तलाक प्रक्रिया - जीवन का दशक अदालत में भारत में तलाक के मामले 5-10 वर्ष तक चल सकते हैं। इस दौरान: भरण-पोषण के आदेश 498A, DV Act, 406 IPC जैसे समानांतर केस पासपोर्ट, प्रमोशन, विदेश अवसरों पर असर

दोनों पक्षों का जीवन रुक जाता है। लेकिन पुरुष अक्सर आर्थिक और कानूनी दबाव के दोहरे बोझ में फंस जाता है। मेरा तो प्रत्येक लड़के वालों को सुझाव है कि स्वयं वधु या उनके परिवार की नौकरी चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी या ग्राइवेट नौकरी या व्यापारिक परिवार से ही, जब वधु पक्ष के लोग इस तरह का मुकदमा फाइल करते हैं, तो दहेज में बेशुमार रकम देना दिखा देते हैं, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति और आयकर विवरणों/देस्तावेज किसी भी तरह से इस बात को साबित नहीं करती।

मेरा तो सरकार को, पुलिस वालों को और सम्पत्त लड़के वालों को भी सुझाव है कि जब भी कभी इस तरह का कोई केस फाइल हो, तो आयकर विभाग में जरूर शिकायत करें, विजिलेंस डिपार्टमेंट, उनके संबंधित सरकारी विभाग और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में अवश्य शिकायत करनी चाहिए, जिससे याचन पता चल सके कि वह इतनी संपत्ति लाए कहाँ से? आखिर जो दवा कर रहे हैं, उसे साबित तो करना पड़ेगा कि उनके पास उतने आय के साधन थे भी या नहीं।

लिव-इन रिलेशनशिप: संस्कृति बनाम संवैधानिक स्वतंत्रता मैं यह बात खुलकर कहता हूँ -

भारतीय समाज की परंपरागत संरचना विवाह संस्था पर आधारित रही है। यहाँ परिवार केवल दो व्यक्तियों का निजी अनुबंध नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक इकाई है। लिव-इन रिलेशनशिप को हमारे पारंपरिक मूल्य कभी स्वीकार नहीं करते रहे। हमारे यहाँ विवाह केवल सहमति नहीं, संस्कार भी हैं। लेकिन समय के साथ न्यायपालिका ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना है।

Supreme Court of India ने कई फैसलों में स्पष्ट किया कि सहमति से व्यक्तियों का साथ रहना अपराध नहीं है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का हिस्सा है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश D. Y. Chandrachud ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देते हुए कहा था कि अदालतें सामाजिक नैतिकता के आधार पर व्यक्तियों को पसंद में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायालय ने यह भी माना कि यदि संबंध विवाह जैसे स्वरूप का हो तो महिला को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण मिल सकता है। यहाँ मेरा प्रश्न न्यायपालिका की नीयत पर नहीं, बल्कि सामाजिक दुष्प्रभाव पर है।

क्या समाज इस परिवर्तन के लिए तैयार है? क्या हम विवाह संस्था को कमजोर कर रहे हैं? क्या हर असफल लिव-इन संबंध अंततः आपराधिक मुकदमे में बदलता? संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन देश और सामाजिक समरसता का धाना बना ध्वस्त करने की आज्ञा नहीं देता। लिव-इन रिलेशनशिप और आपराधिक मुकदमे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सहमति से व्यक्तियों का साथ रहना अपराध नहीं है। लेकिन जमीनी स्तर पर देखा गया है कि:-

रिश्ता टूटने पर 376 (झूठा वादा), 417 (धोखाधड़ी), 498ए जैसे अपराध लगाए जाते हैं। मैं फिर दोहराता हूँ - वास्तविक धोखा और शोषण के मामलों में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि दो व्यक्तियों का सहमति से रिश्ता था, तो हर असफल प्रेम कहानी को आपराधिक मुकदमे में बदल देना न्याय का विस्तार नहीं, उसका विकृतिकरण है।

शादी का झूठा वादा और बलात्कार के मुकदमे पिछले कई वर्षों में आइपीसी की धारा 376 के तहत शादी के झूठे वादे के आधार पर बलात्कार के मामलों में वृद्धि देखी गई है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने कई फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि:-यदि शुरू से ही विवाह का इरादा धोखा देने का था, तो वह अपराध हो सकता है। लेकिन यदि दो व्यक्तियों के बीच सहमति से संबंध थे और बाद में किसी कारण विवाह नहीं हुआ, तो हर मामला स्वतः बलात्कार नहीं बन जाता। मैंने ऐसे मामले देखे हैं जहाँ वर्षों तक संबंध रहा, परिवारों को जानकारी थी, फिर रिश्ता टूट गया - और बाद में गंभीर आपराधिक आरोप लगाए गए जब तक अदालत तय करे कि मामला वास्तविक था या नहीं, आरोपी को सामाजिक मृत्यु हो चुकी होती है।

विकसित देशों से क्या सीखें? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में घरेलू हिंसा कानून प्रायः जेंडर-न्यूट्रल हैं। घरेलू हिंसा कानून जेंडर-न्यूट्रल झूठी शिकायत पर स्पष्ट दंड गिराए जाने से पहले जांच तलाक मामलों में समयसीमा मानसिक स्वास्थ्य सहायता तंत्र भारत को भी सुधार पर विचार

करना चाहिए:-

1. जेंडर-न्यूट्रल कानून

2. एफआइआर से पहले अनिवार्य प्रारंभिक जांच

3. झूठे मामलों में त्वरित दंड

4. पुरुष आयोग की स्थापना

5. पहचान गोपनीयता में समानता

6. तलाक और पारिवारिक मामलों की समयबद्ध सुनवाई

मेरी व्यक्तिगत अपील आज मीडिया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बड़े तबके का समाज और शिक्षण संस्थाओं ने नारी को इतना अति-आत्मविश्वास से भर दिया है कि उन्होंने अपने विवेक के बजाय दूसरों की बातों से फैसले लेना शुरू कर दिया है, और पुरुष को इन सभी सिस्टम में विलेन के रूप में घोषित कर दिया गया है। यह पूरा तबका यह भूल गया है कि ईश्वर ने चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग - दोनों को एक साथ, अपनी-अपनी अलग-अलग कला और विशेषज्ञताओं के साथ गढ़ा है। जब तक इन दोनों विशेषज्ञताओं का समागम नहीं होता, तब तक एक सुदृढ़ समाज का निर्माण भी नहीं होता। यदि दोनों पहियों में असंतुलन हो जाएगा - जिसकी शुरुआत मेरे ख्याल से हो चुकी है - तो उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, और आने वाले 10-15 वर्षों में इन दुष्परिणामों की प्रतिशत में भारी वृद्धि होगी। भारतीय परिवारों में विखंडन बहुत तेजी से होगा। इसके लिए मैं पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि वे स्वयं को सुपर पावर, सुपर टैलेंटेड समझने लगी हैं। मैं महिलाओं से क्षमा चाहता हूँ कि यह बात लिख रहा हूँ, लेकिन मेरी नीयत और उद्देश्य गलत नहीं है। मैं जिस तरह से परिवारों का विखंडन हो रहा है, उसे लेकर चिंतित हूँ। अति-आत्मविश्वास की वजह से वे अपने परिवारों को खो रही हैं। उनके भीतर समझौते की कोई स्थिति नहीं बची है। मैंने अपने जीवनकाल में ऐसे बड़े घरों को देखा है, जिनमें वरिष्ठ प्रशासनिक, न्यायिक अधिकारी या राजनेता रहे हैं। उनकी नौकरी के दौरान इस तरह की घटनाएँ जब घटती हैं, तो वे स्वयं डर के कारण कुछ कार्रवाई नहीं कर पाते और उनके घर में आई हुई बहू या पत्नी का अत्याचार वह पुरुष या वह पूरा परिवार बेदरदी से मजबूरन सहन करता है। मैं जयपुर के बारे में इतना जानता हूँ कि लगभग 200 तलाक के केस जयपुर जिले में रोजाना फाइल होते हैं। यह अपने आप में प्रमाण है कि किस कदर ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इसके लिए दोनों ही वर्ग जिम्मेदार हैं - एक अति सहनशीलता की वजह से और दूसरा अति-अहंकार की वजह से। आज कई निर्दोष पुरुष अदालतों में खड़े हैं, उनके बूढ़े माता-पिता थानों के चक्कर लगा रहे हैं, बच्चे मनोवैज्ञानिक आघात झेल रहे हैं। और कुछ पुरुष - चुपचाप, बिना शोर - अपनी जान दे रहे हैं। क्या हम तब जाँगे जब आँकड़े और बहनें? या हम अभी कानूनों की समीक्षा, संतुलन और सुधार की दिशा में कदम उठाएँगे? क्या एकरफ़ा नहीं हो सकता? कानून सुरक्षा दे, भय नहीं। और यदि कहीं संतुलन बिगड़ा है, तो उसे ठीक करना ही लोकतंत्र की परिपक्वता है।

-रोटेरियन सुनील दत्त गोयल, एडवाइजर, एडिटर्स क्लब ऑफ़ इंडिया महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

अप्रैल से फिर जम्मू तक दौड़ेगी भगत की कोठी-जम्मूतवी एक्सप्रेस

जिज्ञासा-17 में आई तकनीकी खराबी के चलते ट्रेन संख्या 14803/14804 भगत की कोठी-जम्मूतवी-भगत की कोठी एक्सप्रेस को पठानकोट रेलवे स्टेशन से जम्मूतवी रेलवे स्टेशन के बीच आंशिक रूप से रूढ़ करना पड़ा था। आज कठुआ-माधोपुर रेलखंड पर मरम्मत और तकनीकी कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद रेलवे ने ट्रेन को फिर से पूरे मार्ग पर चलाने

का फैसला किया है। इसके तहत ट्रेन संख्या 14803 भगत की कोठी-जम्मूतवी एक्सप्रेस 1 अप्रैल से तथा 14804 जम्मूतवी-भगत की कोठी एक्सप्रेस 2 अप्रैल से संचालित होगी। इसके लिए अग्रिम आरक्षण भी शुरू कर दिया गया है। वहीं ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री भार को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा यात्रियों को राहत देने के लिए जोधपुर-रामदेवरा-भगत की कोठी के बीच

चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन 26 मार्च तक चलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग पठाठी के अनुसार ट्रेन संख्या 04867, जोधपुर-रामदेवरा स्पेशल 19 मार्च से 26 मार्च तक (कुल 8 टिप्प) संचालित की जा रही है। यह ट्रेन जोधपुर से सुबह 09.30 बजे रवाना होकर दोपहर 1 बजे रामदेवरा पहुंच रही है। इसी कारण ट्रेन संख्या

04868, रामदेवरा-भगत की कोठी स्पेशल भी 26 मार्च तक चलेगी, जो रामदेवरा से दोपहर 2 बजे रवाना होकर शाम 5.30 बजे भगत की कोठी पहुंच रही है। ट्रेन का मार्ग में जोधपुर, राईका बाग, मंडोर, मारवाड़ मथानिया, ओरियादा, मारवाड़ लोहावट और फलादी स्टेशनों पर उतराव है जिसमें 8 साधारण श्रेणी, 2 गाईडिब्लॉक सहित कुल 10 कोच लगाए गए हैं।

राशिफल

सोमवार 23 मार्च, 2026

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, सोमवार, विक्रम संवत् 2083, कृत्तिका नक्षत्र रात्रि 8:50 तक, विक्रम मंगल योग दिन 12:22 तक, वव करण प्रातः 7:58 तक, चन्द्रमा आज वृष राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-वृष, मंगल-कुम्भ, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक-मीन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वाथ सिद्धि योग प्रातः 8:20 से सूर्योदय तक है। रविवोग और कुमार योग प्रातः 8:50 से आरम्भ होगा। आज श्री पंचमी, लक्ष्मी पंचमी, कल्याण है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 8:02 तक, शुभ 9:33 से 11:03 तक, चर 2:04 से 3:34 तक, लाभ अमृत 3:44 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 6:32, सूर्यास्त 6:35

मेघ
आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लगेगे। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

वृष
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आज व्यावसायिक/आर्थिक मामलों में उचित सफलता मिल सकती है।

तुला
व्यावसायिक परेशानियाँ अभी यथावत बनी रहेगी। आज व्यावसायिक कार्यों में थिलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिनाइ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ अभी बनी रहेगी।

मिथुन
आज समय अनर्गल कार्यों में खराब होगा। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। पारिवारिक घर्षों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज मन में असंतोष बना रहेगा।

धनु
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवाहित मामलों से राहत मिलेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

मकर
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

कर्क
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक मामलों में लापरवाही आज व्यतीत नहीं रहेगी। आज धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शोषण/सुगमता से बनने लगेगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

कन्या
नवीन कार्यों के संबंध में सावधानी से कार्य करें। आश्वासन/संदेश प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बनने लगेगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या दूर हो सकती है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।